राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (बिन्दु संख्या 83) के अन्तर्गत दायर अपील संख्या 25/2018–19

मैसर्स राम नारायण कॉन्ट्रेक्टर, बीकानेर

बनाम

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर के द्वारा Rehabilitation of Dheel Irrigation Project, Tehsil Bonli District- Sawai Madhopur निविदा आमन्त्रित की गई।

निविदा की तकनिकी बिड में मूल्यांकन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में मैसर्स राम नारायण कॉन्ट्रेक्टर, बीकानेर द्वारा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता (प्रथम अपील प्राधिकारी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर) के समक्ष अपील दायर की एवं नियमानुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर 810729 दिनांक 30.04.2018 से राशि रू. 2,500/– फीस जमा करवाई गई।

अपील को नियमानुसार अपील संख्या 25/2018–19 पर दर्ज कर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर (उपापन संस्था) तथा मैसर्स राम नारायण कॉन्ट्रेक्टर, बीकानेर (अपीलार्थी) को अपना पक्ष रखने के लिये नोटिस संख्या एफ. 2(43)एएस/आई/सेल/2018/1931 दिनांक 09.05.2018 जारी कर दिनांक 16.05.2018 को सांय 04.00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपस्थित होने का समय नियत किया गया।

निर्धारित दिनांक 16.05.2018 को अपीलार्थी की तरफ से श्री रामनिवास उपस्थित हुए एवं उपापन संस्था की ओर से श्री रवि सोलंकी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर उपस्थित हुए। अपीलार्थी की तरफ से अपनी लिखित अपील के साथ–साथ अपना विस्तृत मौखिक पक्ष रखा गया। उपापन संस्था की तरफ से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दुओं एवं निविदा के संबंध में लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा साथ ही मौखिक बहस की गई।

अपीलार्थी की तरफ से अपील में उठाये गये बिन्दु निम्नानुसार है :–

Not agreed with the outcome report of the Bid Evaluation Committee on the following grounds :-

1. Executed and completed the desired quantity of cement concrete in one year as per the certificate enclosed at page 48 of bid documents and major quantity of cement concrete has been executed as per certificates attached at page no. 51 & 54 for other works.

Have completed 35361.62 cum (23968.67 cum in year 2013-14 & 11392.85 cum in year 2014-15) of concrete on Aspua Tank, Tehsil Suwasara Distt. Mandsaur (page 46 of bid documents). We have also executed 14555.55 cum concrete for the work of renovation & modernisation of LMC RD 0 to 294 (excluding RD 234.5 to 266) of Jhakham Irrigation Project (page 51) and 18765.46 cum of concrete on Negdiya Barrage Distt. Jhabua (page 54 of bid documents).

2. Have also been Technically qualified for the same tender invited during the year 2017-18 (in November 2017).

3. Now for the tender we have technically worngly disqualified even after executing the above quantities, which may be revoked and we must kindly be declare qualified.

उपापन संस्था का कथनः–

रिहेबिलिटेशन ऑफ ढील इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिला सवाई माधोपुर की तकनिकी बिड दिनांक 03.04.2018 को खोली गई जिसमें 2 फर्मों क्रमशः मैसर्स राम नारायण कॉन्ट्रेक्टर, बीकानेर एवं मैसर्स नियाति कन्स्ट्रक्शन ने हिस्सा लिया। फर्मों द्वारा अपलोड डॉक्यूमेन्ट के आधार पर Evaluation Report तैयार की गई जिसमें मैसर्स राम नारायण कॉन्ट्रेक्टर द्वारा क्लाज 2.4.2(बी) में Fulfill नहीं किये जाने के कारण मैसर्स राम नारायण कॉन्ट्रेक्टर, बीकानेर को नोन रेस्पोन्सिव कर एकल फर्म मैसर्स नियाति कन्स्ट्रक्शन की वित्तीय बिड दिनांक 27.04.2018 को खोली गई।

मैसर्स राम नारायण कॉन्ट्रेक्टर, बीकानेर से प्राप्त अपील दिनांक 01.05.2018 जो राजस्थान पारदर्शिता नियम के तहत निर्धारित फीस जमा कराते हुए मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की है।

1. फर्म द्वारा उल्लेख किया है कि उनके द्वारा निर्धारित मात्रा में सीमेन्ट कान्क्रीट का कार्य एक वित्तीय वर्ष में सम्पादित किया गया है जैसा कि उनके द्वारा अपलोड बिड के पृष्ठ 48, 51 एवं 54 पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट है। इस क्रम में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य के क्लाज संख्या 2.4.2(बी) को Fulfill करन हेतु सम्बन्धित फर्म को 01 जनवरी 2012 से बिड अपलोड की अन्तिम तिथि तक किसी 1 वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार निर्धारित Quantity Execute की जानी थी। जबकि फर्म द्वारा 01 जनवरी 2012 से बिड अपलोड की तिथि तक किसी भी वित्तीय वर्ष में निम्न तीनों आईटमों में वांछित Quantities सम्पादित किया जाना नहीं पाया है :–

S. No.	Items/Particulars	Required Quantity
1	Earth Work in Cum	427784.00
2	Production of Concrete in Cum	22131.00
3	Stone Masonary in Cum	6188.00

फर्म द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में सम्पादित की गई Quantities निम्नानुसार है :–

2012-13			2013-14			2014-15		
E/W	CC	Masonary	E/W	CC	Masonary	E/W	CC	Masonary
38577	28755	0	252607	43102	12043	209973	41480	22755

2015-16			2016-17			2017-18		
E/W	CC	Masonary	E/W	CC	Masonary	E/W	CC	Masonary
640277	21125	18487	184150	7774	12114	0	0	0

उक्तानुसार स्पष्ट है कि मैसर्स राम नारायण कॉन्ट्रेक्टर, बीकानेर द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में बिड में वांछितानुसार सभी Quantities सम्पादित नहीं की है। जिसके कारण ही फर्म क्लाज 2.4.2(बी) को Fulfill करने में असमर्थ रहे है।

उपापन संस्था द्वारा अपील के बिन्दु संख्या 2 के कम में अवगत कराया है कि फर्म से प्राप्त अपील में यह भी अंकित है कि उनके द्वारा Same Tender में वर्ष 2017–18 में Technically Qualified थे, इस कम में उल्लेखनीय है कि तत्समय फर्म द्वारा अपलोड दस्तावेजात के आधार पर Evaluation Report तैयार की गई थी। उसी आधार पर उनको Qualified किया गया था।

उपापन संस्था द्वारा अपील के बिन्दु संख्या 3 के कम में अवगत कराया है कि फर्म द्वारा अपलोड डॉक्यूमेन्ट के आधार पर ही Evaluation report तैयार की गई है जिसके आधार पर फर्म क्लाज संख्या 2.4.2(बी) को Fulfill करने में असमर्थ है।

प्रथम अपील अधिकारी का निर्णयः–

अपील के संबध में मेरे द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अपील संबंधी प्रावधानों का विवेचन किया गया एवं मेरे द्वारा उक्त प्रावधानों के अध्ययन उपरान्त पाया कि इस निविदा प्रकरण पर यह प्रावधान लागू होगें या नहीं। इस संबंध में तथ्य यह है कि निविदा के निविदा प्रपत्र JICA व राजस्थान सरकार के मध्य निष्पादित समझौते के अन्तर्गत ऋण प्रदाता संस्था की गाईड लाईन के आधार पर तैयार किये गये, जिनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील दायर करने का प्रावधान नहीं है। उक्त संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 का क्लाज 3(3) भी अवलोकनीय है जो निम्नानुसार हैः–

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) provisions of this Act shall apply to a procuring entity subject to any obligation of the State Government under or arising out of any agreement,-

(a) entered into by the Central Government with any other country or with an intergovernmental international financing institution; or

(b) to which it is party with one or more other State Governments or with the Central Government,

and the requirements of such agreement shall prevail over the provisions of this Act.

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील दायर किया जाना नियमान्तर्गत नहीं है।

उक्त तथ्यों के मध्यनजर अपीलार्थी मैसर्स राम नारायण कॉन्ट्रेक्टर, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत अपील उक्त तथ्यों के मध्यनजर खारिज की जाती है।

दिनांक 23.05.2018

23.5.18

(एम. आर. डूडी)
प्रथम अपील अधिकारी,
मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर